

EVERYDAY LAW FOR WOMEN

किरण शक्ति
INITIATIVE of



समय / संरचना

- बुधवार और शुक्रवार
- 2:00 दोपहर, India
- 60 minute
- 30 minute teaching
- 30 minute Questions/Answers
- Homework
- 3 weeks classes
- Certificate to be give for completing the course

MATERNITY BENEFITS मातृत्व लाभ



Meaning / अर्थ

The Maternity Benefit Act, 1961 is a legislation that protects the employment of women at the time of her maternity. It entitles women employees of 'maternity benefit' which is fully paid wages during the absence from work and to take care of her child.

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 एक ऐसा कानून है जो मातृत्व के समय महिलाओं के रोजगार की रक्षा करता है। यह महिला कर्मचारियों को 'मातृत्व लाभ' का हकदार बनाता है, जो इस दौरान पूरी तरह से भुगतान किया जाता है



BENEFITS AVAILABLE उपलब्ध लाभ

- 01 Increased Paid Maternity Leave:
बढ़ा हुआ भुगतान मातृत्व अवकाश:
- 02 Maternity leave for adoptive and
commissioning mothers: दत्तक और
कमीशनिंग माताओं के लिए मातृत्व अवकाश:
- 03 Work from Home option:
घर से काम करने का विकल्प:
- 04 Creche facility:
क्रेच सुविधा

ELIGIBILITY/ पात्रता

Women employed in any establishment, whether directly or through any agency are eligible to claim maternity benefits.

The employee should have worked for her employer for at least 80 days in the last 12 months.

A woman could request her employer to assign her light work to avail maternity benefits. This request should be made at least before 10 weeks of her date of expected delivery.

The woman should produce a certificate 10 weeks before her delivery to the employer confirming her pregnancy.

The employee needs to give written notice to the employer before 7 weeks of her date of delivery regarding her absence period

किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत महिलाएं, चाहे सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से, मातृत्व लाभ का दावा करने के लिए पात्र हैं।

कर्मचारी को अपने नियोक्ता के लिए पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों तक काम करना चाहिए था।

एक महिला अपने नियोक्ता से मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए उसे हल्का काम सौंपने का अनुरोध कर सकती है। यह अनुरोध उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से कम से कम 10 सप्ताह पहले किया जाना चाहिए।

महिला को प्रसव से 10 सप्ताह पहले नियोक्ता को गर्भावस्था की पुष्टि के लिए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

कर्मचारी को उसकी अनुपस्थिति की अवधि के बारे में उसकी डिलीवरी की तारीख से 7 सप्ताह पहले नियोक्ता को लिखित नोटिस देना होगा।



THANK YOU